

ICDS/80050/01-2025

89

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर, (भा०प्र०से०),
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 12.6.2025

विषय:-

आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू० 400/- (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले, जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव एवं राशि के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

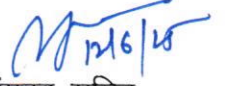
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू० 400/- (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले, जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव एवं राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित्त पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू० 400/- (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार के पत्रांक- 3505 दिनांक- 18.02.2025 के आलोक में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाना है एवं पोशाक की दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि किया जाना है।
3. समाज कल्याण विभाग के माँग सं०- 51 के अधीन पूर्व से संधारित राज्य स्कीम मद में राशि की निकासी एवं व्ययन विपत्र कोड- 51-2235021020117 एवं 2235027890103 आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 4546 दिनांक-05.06.2025 के आलोक में की जायेगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं, जो नियमानुसार राशि की निकासी कर जीविका, बिहार को राशि उपलब्ध करायेंगे।
6. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या- ICDS/80050/01-2025 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक 03.06.2025 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
8. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या- ICDS/80050/01-2025 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या- 15/टि० पर दिनांक- 09.06.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

✓

9. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या- ICDS/80050/01-2025 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-17/टि0 पर दिनांक- 10.06.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
10. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



संयुक्त सचिव,

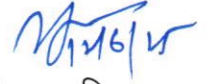
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- ICDS/80050/01-2025

89

पटना, दिनांक- 12-6-2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग/ संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/ निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



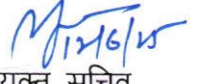
संयुक्त सचिव,

पटना, दिनांक- 12-6-2025

ज्ञापांक- ICDS/80050/01-2025

89

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



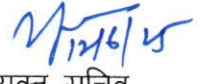
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक- 12-6-2025

ज्ञापांक- ICDS/80050/01-2025

89

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव